"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2012—फाल्गुन 12, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री विवेक ढांड, भा.प्र.से. (1981), प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं विकास आयुक्त को केवल प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुये, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग एवं आयुक्त, श्रम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री डी. एस. मिश्र, भा.प्र.से. (1982), कृषि उत्पादन आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

3. श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से. (1982), आयुक्त, श्रम एवं पदेन सचिव, श्रम विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन, जन शिकायत निवारण, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. (1983), प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नगरीय विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें पदेन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

5. श्री एम. के. राऊत, भा.प्र.से. (1984), प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री सुनील कुमार कुजूर, भा.प्र.से. (1986), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त होने पर उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से श्री कुजूर के उक्त प्रभार बाबत् अनुमति प्राप्त होने तक श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (1985) अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, वन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.

7. श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से. (1987), प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. डॉ. बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988), सचिव, सहकारिता विभाग तथा गन्ना आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें आयुक्त-सह-संचालक, भू-अभिलेख तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

9. श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (1988), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

10. श्री मनोहर पाण्डे, भा.प्र.से. (1993), सचिव, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को केवल सचिव, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति विभाग से मुक्त करते हुये, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग तथा गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

11. श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994), सचिव (कार्मिक), सामान्य प्रशासन तथा जन शिकायत निवारण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनशक्ति नियोजन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

12. श्री विकास शील, भा.प्र.से. (1994), सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं पदेन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री विकास शील द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. जितेन्द्र कुमार, भा.व.से. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं पदेन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, केवल पदेन सचिव, खाद्य, नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद से कार्यमुक्त होंगे.

13. श्री एम. के. पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव (कार्मिक), छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

14. डॉ. बी. एल. तिवारी, भा.प्र.से. (1996), आयुक्त-सह-संचालक, भू-अभिलेख तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

15. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003), प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरिया के पद पर पदस्थ किया जाता है.

16. सुश्री रितु सैन, भा.प्र.से. (2003), कलेक्टर, कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (भा.प्र.से. स्थापना) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

17. श्री के. सुब्रमणियम, भा.व.से., सचिव, मान. मुख्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को केवल सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुये अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, राज्य मण्डी बोर्ड, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 1-4/2011/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा सोमवार, दिनांक 01 अक्टूबर 2012 को "बैंकों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी" पर घोषित किए गए "सार्वजनिक अवकाश" को निरस्त करते हुए, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को "बैंकों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी" पर "सार्वजनिक अवकाश" घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्रमांक-एफ 7-40/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मरवाही, निवेश क्षेत्र, जिला बिलासपुर का गठन करती हैं जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई हैं :—

अनुसूची

मरवाही निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम धनौरा, लोहरी, चनाडोगरी एवं करहनिया ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम करहनिया एवं कटरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कटरा, माडाकोट, कुम्हारी एवं धुसरिया ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम धुसरिया, चिचगोहना, मनोरा एवं धनोरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्रमांक 2-53/2004/12(6).—जिला दुर्ग, तहसील बालोद, वन परिक्षेत्र दल्ली राजहरा स्थित निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र, जिसे पूर्वेक्षण कार्य के पश्चात् आवेदक कंपनी द्वारा समर्पण किया गया है, को खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम-59 के तहत खुला घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

जिला/वन मंडल/ वन रेंज का नाम	वन कक्ष क्रमांक	वन कंपार्टमेंटवार रकबा (हेक्टर में)	टोपोशीट क्रमांक 64 एच/		
			बिन्दु	देशांश	अक्षांश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग/दुर्ग/दल्ली राजहरा	148	204.50	A	81°01' 11.93"	20°34' 12.68"
			B	81°01' 13.82"	20°35' 04.40"
			C	81°01' 36.16"	20°34' 46.14"
			D	81°02' 07.02"	20°34' 45.41"
			E	81°02' 07.67"	20°34' 12.08"
	149	250.00	A	81°01' 07.88"	20°33' 49.27"
			B	81°01' 52.33"	20°33' 48.85"
			C	81°01' 52.39"	20°33' 38.37"
			D	81°02' 19.55"	20°33' 38.21"
			E	81°02' 28.57"	20°33' 32.54"
			F	81°02' 29.13"	20°33' 17.53"
			G	81°01' 56.01"	20°32' 48.09"

उपरोक्त वर्णित क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् पुन: अनुदान के लिए उपलब्ध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक 1098/453/21-ब/छ.ग./2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दिलीप सिंह नरेटी, अधिवक्ता, उत्तर बस्तर कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक उत्तर बस्तर कांकेर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक 1100/453/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दिलीप सिंह नरेटी, अधिवक्ता, उत्तर बस्तर कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक उत्तर बस्तर कांकेर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक 1102/476/21-ब/छ.ग./2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नरेश कुमार नाईक, अधिवक्ता, कोण्डागांव, जिला-बस्तर स्थान जगदलपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक कोण्डागांव जिला जगदलपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक 1104/476/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नरेश कुमार नाईक, अधिवक्ता, कोण्डागांव जिला-बस्तर स्थान जगदलपुर को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक कोण्डागांव, जिला जगदलपुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्रमांक 1348/185/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, नोटरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम, विलोपित करता है.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्रमांक 1350/320/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री चन्द्रशेखर देवांगन, नोटरी, जिला कोरबा (छ.ग.) की मृत्यु होने जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम, विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्रमांक 604 एफ-3-3/2012/38-2.—महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालॉजी, पोस्ट-मंगला, बिलासपुर के प्रथम परिनियम क्र. 01 से 40, प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 20 तथा विनियम क्रमांक 01 से 04 का महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालॉजी, पोस्ट-मंगला, बिलासपुर द्वारा महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालॉजी अधिनियम 2002 के तहत् बनाया गया. उक्त अधिनियम की धारा 40 (1) के प्रावधानानुसार अधिसूचना दिनांक 23-02-2012 को जारी की जा रही है.

2. उपरोक्त परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

No. 604 F-3-3/2012/38-2.—The First Statutes No. 01 to 40, the First Ordinances No. 01 to 20 and the First Regulations No. 01 to 04 of the Maharishi University of Management and Technology, Post Mangla, Bilaspur the under Maharishi University of Management and Technology Act, 2002 by the Maharishi University of Management and Technology, Post Mangla, Bilaspur. Under above Act section 40 (1) is being hereby notified on 23-02-2012.

2. The above Statutes, Ordinances and Regulations shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक 232/1806/11/16.—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार या उसके नियंत्रण के अधीन किसी स्थापना के संबंध में (किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापना के संबंध में या किसी ऐसे स्थापना के संबंध में जिसकी एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं है, के अतिरिक्त), उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं के प्रयोजनों के लिये, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों के, स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी पदों के धारक अधिकारियों को उसके स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है, यथा :—

सारणी

क्र. (1)	अधिकारी (2)	कार्यालय (3)	क्षेत्र (4)
1.	1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 2. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अनुपालन) 3. क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त 4. प्रवर्तन अधिकारी	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली.	छत्तीसगढ़ राज्य

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	1. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 2. सहायक भविष्य निधि आयुक्त 3. प्रवर्तन अधिकारी	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का जोनल कार्यालय, मुम्बई.	छत्तीसगढ़ राज्य
3.	1. क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त 2. सहायक भविष्य निधि आयुक्त 3. प्रवर्तन अधिकारी.	छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय कार्यालय.	छत्तीसगढ़ राज्य

No. 232/1806/11/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) the State Government hereby appoints the officers holding the posts specified in column (2) of the table below in the office specified in column (3) of the said table to be Inspectors for the area specified in column (4) thereof, for the purpose of the said Act and the scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the State Government (except in relation to an establishment connected with a railway company, a major-port, a mine or an oil field or a controlled industry or in relation to an establishment having department or branches in more then one State), namely :—

TABLE

S. No. (1)	Officers (2)	Office (3)	Area (4)
1.	1. Central Provident Fund Commissioner 2. Additional Central Provident Fund Commissioner (Compliance) 3. Regional Provident Fund Commissioner 4. Additional Central Provident Fund Commissioner.	Employee's Provident Fund Organization. Head Office, New Delhi.	The State of Chhattisgarh
2.	1. Additional Central Provident Fund Commissioner. 2. Assistant Provident Fund Commissioner 3. Enforecement Officers	Zonal Office of Employee's Provident Fund Organization. Mumbai.	The State of Chhattisgarh
3.	1. Regional Provident Fund Commissioner 2. Assistant Provident Fund Commissioner 3. Enforecement Officers	Regional or Sub-Regional Offices Employee's Provident Fund Organization, in the State of Chhattisgarh.	The State of Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलरामपुर, दिनांक 25 फरवरी 2012

रा. प्र. क्र./9/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड्रफनगर	सावित्रीपुर	0.27	महाप्रबंधक, (खान) छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर.	सोन्डिहा कोल परि-योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 25 फरवरी 2012

रा. प्र. क्र./10/अ 82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड्रफनगर	इंजानी	0.78	महाप्रबंधक, (खान) छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर.	सोन्डिहा कोल परि-योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	परसाहीनाला प.ह.नं. 03	11.23	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मु. चांपा.	कर्रानाला जलाशय योजना के डूबान के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	पोंड़ीदल्हा प.ह.नं. 03	7.69	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मु. चांपा.	कर्रानाला जलाशय योजना के डूबान के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	परसाहीनाला प.ह.नं. 03	2.33	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मु. चांपा.	कर्रानाला जलाशय योजना के डूबान के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोर्रा प. ह. नं. 26	6.484	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	राईतराई माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	राईतराई प. ह. नं. 26	1.261	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	राईतराई माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुटकापुरी प. ह. नं. 25	0.731	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	धनगांव वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जामपाली प. ह. नं. 26	2.004	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	राईतराई माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	केनसरा प. ह. नं. 29	3.277	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	बादीमाल माइनर, नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोतमरा प. ह. नं. 38	3.565	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	अमलीपाली माइनर-1 सरवानी माइनर एवं शंकरपाली माइनर-1 निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लिटईपाली प. ह. नं. 27	3.695	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	शंकरपाली माइनर-1 एवं सेमीभांवर माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जतरी प. ह. नं. 28	10.867	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा.	अमलीपाली माइनर-1 सरवानी माइनर एवं सेमीभांवर माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(1) की उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	अरमुड़ा प. ह. नं. 33	113.479	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(1) की उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बोड़ाझरिया प. ह. नं. 33	117.787	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	सकालो प. ह. नं. 10	1.339	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	सकालो जलाशय योजना के आर.बी.सी. मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	सकालो प. ह. नं. 10	5.032	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	सकालो जलाशय योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन प्रस्ताव.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	इंदकालो प. ह. नं. 10	13.695	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	सकालो जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	इंदकालो प. ह. नं. 10	0.984	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	सकालो जलाशय योजना के आर.बी.सी. मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	अलोला प. ह. नं. 10	2.538	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	सकालो जलाशय योजना की आर.बी.सी. मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	तालगांव प. ह. नं. 10	5.892	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बंधनपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गोलाबुड़ा प. ह. नं. 10	2.176	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बंधनपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत दायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गोलाबुड़ा प. ह. नं. 8	0.859	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बंधनपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शाखा नहर क्रमांक-2 के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गोलाबुड़ा प. ह. नं. 10	3.379	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बंधनपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत माइनर नहर क्रमांक 3 के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	लिप्ती प. ह. नं. 10	0.618	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बंधनपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत माइनर नहर क्रमांक-2 के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	लिप्ती प. ह. नं. 10	6.393	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बंधनपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	विजयनगर प. ह. नं. 10	43.464	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	सकालो जलाशय योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन प्रस्ताव.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गोढ़ीखुर्द प. ह. नं. 8	9.250	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बंधनपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत दायीं/बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	कापू प. ह. नं. 8	7.089	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बंधनपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(1) की उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लारा प. ह. नं. 43	114.523	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 28 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/02/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-सातधार, प.ह.नं. 38/17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	22	0.15
	31/5	0.05
	31/9	0.04
	31/10	0.04
	48/1	0.11
	49/3	0.05
	49/4	0.02
	112	0.08
योग	8	0.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सातधार, टारबंध योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 16 फरवरी 2012

क्रमांक 215/06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-तुमाढेटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.29 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	240/2	0.21
	240/3	0.21
	240/1	0.21
	230	0.32
	241	0.34
योग	5	1.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुकुसदा-परसिया मार्ग के कि.मी. 2/6 पर आगर नदी पर पुल निर्माण के सेतु मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक/235/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-जुनापानी, प.ह.नं 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.748 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85	0.130
83	1.100
24	0.240
23	0.400
22	0.110
9	0.300
8	0.320
20	0.020
21	0.048
7	0.200
12	0.020
11/2	0.040
10	0.540
4	0.280
योग 14	2.748

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक/237/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-जर्राडीह, प.ह.नं 30/45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/2	0.52
3/1	0.44
2	0.20
24	0.04
योग 4	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2012

प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-मल्हार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1538	0.56
योग	1	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन--
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीभौना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	49/6	0.170
योग	1	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कोडातराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.726 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	412/1	0.093
	160/9	0.140
	516/3	0.170
	148/10	0.020
	588/5	0.108
	160/1	0.020
	146/6	0.040
	268/3क	0.013
	147	0.508
	133/3, 161/3	0.016
	588/2	0.098
	487/3	0.004
	160/11	0.049
	267/2	0.060
	135/3	0.198
	588/9	0.052
	148/2	0.012
	511/1	0.004
	410/2	0.036
	160/4	0.036
	148/7	0.009
	523/3	0.040
योग	22	1.726

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सांगीतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.218 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	82/5	0.218
योग	1	0.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-तड़ोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.759 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	23/2	0.182
	32/1	0.061
	40/1	0.150
	32/6	0.065
	23/3, 24	0.064
	152/2ख	0.137
	29/1क	0.100
योग	7	0.759

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-केसला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.340 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	31/1	0.160
	163/3, 164/3, 166/3, 167/7	0.020
	175/2	0.047
	189/3, 192/3	0.020
	189/2, 192/2	0.093
योग	5	0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-सहदेवपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.343 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/क	0.202
9/12	0.113

(1)	(2)
9/16	0.028
योग 3	0.343

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्वं, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.899 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/7	0.028
27/39	0.073
145	0.101
5/9	0.360
42/5	0.068
148/9ख	0.012
27/25	0.114
42/8	0.060
13/2ख	0.026
48/2	0.057
योग 10	0.899

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तड़ोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.792 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
162/1	0.474
162/2	0.166
165/1	0.117
166/1	0.182
166/2	0.287
175/1	0.109
177/1ङ	0.081
175/2	0.073
175/6	0.133
176/1क/1	0.279
176/क/5	0.081
176/1क/3	0.089

(1)	(2)
177/1घ	0.327
177/3	0.004
177/1च	0.194
178/6	0.002
158	0.109
161	0.085
योग 18	2.792

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-झलमला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.042 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26	0.214
25/4	0.096
41/2	0.024
25/2	0.077
43/2	0.016
742	0.020
743	0.024
744	0.061
745	0.154
763	0.089
39/1	0.012
39/2	0.016
39/3	0.018
43/3	0.024
41/1	0.016
44	0.093
53/1	0.012
60	0.060
780	0.117
800/3	0.016
53/2	0.057
57	0.071
58	0.072
56/1	0.030
55/1	0.020
63/1	0.045
63/2	0.145
64/1	0.041
40	0.081
65	0.048
67/3	0.076
67/4	0.076
68/2	0.012
69/2	0.040
70/2	0.053
70/3	0.020
311/1, 312/1	0.049
311/2, 312/2	0.158
311/3, 312/3	0.085
313/2, 313/3	0.045
312/4, 313/5	0.045
330/1	0.036
330/3	0.020
766	0.006
330/2	0.012
331/2	0.032
330/4	0.113
779	0.113
334/3	0.137
333/2	0.024

(1)	(2)
771	0.114
334/1	0.101
334/6	0.065
754	0.049
755	0.020
762	0.117
760/1	0.049
760/2	0.004
764	0.012
770	0.073
778	0.109
781/2	0.016
782	0.145
783/3	0.093
800/1	0.010
800/2	0.107
799/1	0.016
799/2	0.130
876/1	0.041
661/2	0.004
801	0.061
802	0.004
875	0.012
877	0.158
893	0.065
891/1	0.186
891/2	0.019
892	0.190
68/1	0.040
46/2	0.029
47	0.012
46/1	0.040
56/2	0.030
योग 83	5.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत टेंगापाली वितरक नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प.ह.नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-184.633 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
839/7	0.117
789/1	0.134
789/4	0.129
438/4	0.057
625/4	0.077
633/3	0.055
635/3	0.389
636/1घ	0.218
791/1ग	0.107
401/1	0.081
419/1क	0.295
642/5	0.103
646/1	0.154
646/3	0.288
647/4	0.188
663/3ख	0.202
839/4	0.020
447/2	0.125
450/1ख	0.365
689/15	0.037
438/3	0.275
542/4	0.437
555/5	0.372
782	0.409
784	0.384

(1)	(2)	(1)	(2)
789/2	0.551	559/2	0.085
789/6	0.129	533/2	0.688
837/2	0.048	534/1	0.202
605/2क	0.146	535/1	0.057
636/2	0.255	541/4	0.049
640/1	0.043	541/5	0.049
642/1	0.034	542/3	0.257
648/1	0.227	633/6	0.045
703/2	0.138	629/3	0.222
623/1	0.356	540/1	0.210
401/2	0.129	540/3	0.146
450/1क	0.040	483/1	0.067
623/2	0.260	145/2	0.146
791/2	0.421	626/2	0.259
480/1	0.178	627/3	0.380
504	0.138	624/3	0.109
505/2	0.519	620/1	0.093
522	0.175	689/24	0.024
536/1	0.194	453	0.332
583	0.061	686/1	0.025
633/5	0.045	687	0.061
633/4	0.045	686/3	0.086
604/4	0.014	553/3	0.109
745/1	0.097	134/1क	0.101
781/2	0.142	118/2	0.101
600/2	0.478	820/2	0.031
707/2	0.056	828/1	0.129
707/3	0.118	829/2	0.202
708/2	0.267	841/4	0.091
708/3	0.457	420/2	0.118
97/3, 97/7, 97/1, 97/4, 97/5, 97/6, 97/2	1.373	587/1	0.095
		630/3	0.193
129/1	0.397	631/1	0.117
265	0.040	507	0.461
266	0.142	411/2	0.141
380/1, 380/12, 380/7, 380/8, 380/3, 380/4, 380/9, 380/2, 380/5, 380/6, 380/10, 380/11	1.454	387/1	0.240
		675/1	0.049
		660/1	0.078
394/1, 394/3, 394/4, 394/2	0.170	548/1	0.081
396/1	0.198	417/1, 417/2, 417/3	0.235
568/1	0.154	689/16	0.190
436/6	0.083	834/6	0.072
506/2	0.089	689/21	0.072
555/3	0.267	423/4	0.174
555/4	0.138	831/7, 836	0.028
556/1	0.223	831/8, 836	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
719	0.121	849/3	0.061
720	0.769	663/3क	0.270
846/3	0.405	664/2	0.202
663/4	0.207	452/3	0.066
664/5	0.061	454/2	0.275
665/4	0.136	462/2	0.077
130/2	0.250	463/2	0.170
450/4	0.065	664/1	0.210
654/5क	0.170	667/2	0.478
693/3	0.156	670/1घ	0.201
694/1	0.113	828/7	0.021
695/1, 696/1	0.745	451/1	0.012
829/1	0.029	452/1	0.055
830/1	0.095	454/1	0.275
428	0.129	462/1	0.078
120/6	0.020	463/1	0.170
403/2	0.125	791/1ङ	0.094
651/3	0.170	711/1	0.291
689/7	0.043	713/2	0.202
689/28	0.043	713/3	0.348
144/5, 144/6, 144/1, 144/3, 144/4, 144/2	0.605	714/2	0.049
		743/2	0.206
791/3	0.071	745/3	0.061
791/4	0.071	745/4	0.020
117	0.632	745/5	0.142
496	0.316	745/6	0.101
704	0.073	746	0.101
705	1.076	747/2	0.105
706	0.243	748	0.223
783	0.166	445	0.142
785	0.202	447/1	0.231
786	0.206	837/1	0.122
787	0.146	600/1	0.241
395/2, 395/1	0.320	411/1	0.142
451/2	0.033	147/7	0.146
627/2	0.247	657/1	0.189
627/4	0.105	585	0.117
631/2	0.109	835	0.368
147/6	0.146	436/3क	0.218
423/2	0.162	125/2	0.053
424/2	0.128	125/6	0.016
425	0.061	126/6	0.057
604/2	0.043	131/1	0.058
788	0.445	381/1, 381/6, 381/11, 381/2, 381/7, 381/8, 381/4, 381/10, 381/12, 381/3, 381/5, 381/9	0.526
573/5	0.151		
844/1	0.144		
844/3	0.185	659/3	0.068

(1)	(2)	(1)	(2)
662/1क	0.097	707/1	0.081
664/3	0.099	708/1	0.235
676	0.057	709/1	0.069
844/2	0.163	436/5	0.028
137/2	0.259	449	0.170
479/1	0.085	510	0.186
711/4	0.283	838/2	0.077
591/1ख	0.151	650/2	0.202
594/2	0.100	625/1	0.077
591/3	0.267	633/2	0.190
595	0.206	635/1	0.388
531/2	0.202	636/1ख	0.219
718/6	0.045	791/1क	0.107
412	0.336	418	0.304
579	0.518	118/1	0.202
484/2	0.194	689/27	0.044
135/4	0.304	119/1	0.083
437	0.202	689/26	0.020
427	0.085	689/30	0.044
655/2	0.032	479/2ख	0.085
657/2	0.297	480/3	0.106
408	0.024	435/6	0.081
619	0.206	138/2	0.138
628	1.004	422/3	0.081
652/2क	0.162	439	0.154
652/2ख	0.178	431/1, 431/2	0.203
604/3	0.043	432	0.334
703/1	0.415	433	0.356
405/2	0.279	464/1, 464/2, 464/2	0.394
461/3क	0.190	662/3क	0.180
646/2	0.348	615/1ख	0.178
652/2ग	0.032	668	0.085
553/1	0.110	671/1ख	0.097
594/1	0.060	686/2	0.286
846/1ङ	0.073	847/1, 848/1	0.209
455/1घ	0.125	421/4	0.073
461/4छ	0.083	587/2	0.129
550/4	0.037	132/3	0.097
495	0.081	456/1	0.397
617/3	0.346	457/1	0.366
716	0.170	458/1	0.060
717	0.429	460/1	0.313
730/2	0.052	460/2	0.025
737	0.210	485/1	0.042
745/2	0.243	488/1	0.059
747/1	0.097	490/1	0.047
596/1	0.190		

(1)	(2)	(1)	(2)
502/1	0.060	132/1	0.097
502/2	0.101	120/2	0.020
592/1	0.119	487	0.129
655/1	0.170	689/17	0.068
636/1क	0.405	540/4	0.142
791/1ख	0.044	541/1	0.053
438/5	0.071	423/3	0.174
461/2क	0.148	845/3	0.065
461/4ङ	0.040	573/3	0.079
839/3	0.101	514/3	0.064
456/2	0.198	263/2	0.077
460/3	0.157	674/1	0.067
460/4	0.024	792/3	0.040
461/1ख	0.071	810/2	0.016
502/3	0.061	811	0.028
502/4	0.043	812	0.036
591/2	0.259	813/1	0.189
592/2	0.060	821	0.247
597	0.547	826/1	0.058
599	0.178	827/1	0.135
420/5	0.176	841/5	0.046
587/3	0.047	553/2	0.113
630/5	0.324	120/1	0.020
472/3, 472/1, 472/2	0.232	834/1	0.036
834/3	0.036	834/5	0.071
689/18	0.280	665/1	0.132
834/2	0.061	849/1	0.061
120/3	0.014	146/3	0.067
446/2	0.352	147/2	0.016
543/4	0.045	656/1	0.129
554	0.539	665/6	0.141
557/1	0.231	670/1ख	0.086
558	0.405	830/4	0.095
559/3	0.085	849/2	0.121
562/1	0.044	259	0.708
563	0.571	139/2	0.320
256/4, 256/2, 256/3, 256/1	0.077	535/5	0.061
257/3, 257/2, 257/1	0.245	540/5	0.142
533/1	1.202	543/3	0.045
535/4	0.060	552/2	0.081
536/2	0.194	555/1क	0.049
542/5	0.016	723/3	0.012
420/6	0.041	724	0.437
421/2	0.097	803/2	0.040
613/1	0.113	456/3	0.198
850	0.235	457/2	0.366
		458/2	0.061

(1)	(2)	(1)	(2)
460/5	0.157	404	0.166
461/1क	0.182	440	0.291
461/1ग	0.111	663/1क	0.117
485/2	0.043	130/1	0.251
488/2	0.058	400/1	0.505
490/2	0.046	402	0.198
502/5	0.058	450/2	0.064
592/3	0.060	606/2	0.170
519/1	0.061	693/2	0.653
455/1क	0.126	694/2	0.190
591/1क	0.061	695/2, 696/2	0.405
461/4क	0.082	420/4	0.118
550/1	0.037	640/5	0.043
263/3	0.077	630/4	0.193
383/3	0.161	689/11	0.057
792/5	0.041	482/1	0.017
813/2	0.183	435/4	0.063
815	0.081	436/3ख	0.041
822	0.247	842	0.223
826/2	0.059	843/1	0.050
827/2	0.136	125/4	0.072
828/3	0.010	126/1	0.125
841/2	0.045	127/2	0.153
483/4	0.067	127/6	0.072
506/4	0.096	689/5	0.069
530/3	0.081	455/2क	0.181
703/4	0.139	442	0.125
604/6	0.015	446/1	0.166
846/1क	0.073	610/2	0.202
674/2	0.067	699/3	1.785
643/1	0.303	120/5	0.014
637/2	0.157	325/2	0.098
638/1	0.069	617/2	0.405
641/3	0.074	814	0.340
649/1	0.034	422/1	0.283
649/2	0.016	588	0.320
650/1	0.154	94/1, 94/2, 94/4, 94/3	0.081
661/2	0.047	689/2	0.049
392/2	0.008	689/20	0.056
393	0.101	607/2	0.182
493	0.146	701/1	0.059
516/2	0.123	839/1	0.049
523	0.061	839/2	0.049
621/5	0.196	689/10	0.202
662/2क	0.164	791/5	0.141
461/2ख	0.147	605/1	0.229
461/4च	0.041	461/4ग	0.098

(1)	(2)
486	0.138
514/1	0.065
845/4	0.065
469	0.068
474	0.028
475	0.304
512	0.266
586	0.129
699/5	0.049
461/4ख	0.345
686/5	0.086
789/5	0.012
831/3, 836	0.013
689/9	0.069
712	0.202
713/1	0.178
714/1	0.032
731	0.279
743/1	0.336
828/4	0.324
606/1	0.275
691/2	0.105
701/2	0.109
793/1	0.113
119/3	0.083
441	0.093
651/5	0.012
689/6	0.031
846/1घ	0.085
643/2	0.304
820/1	0.357
461/4झ	0.081
385/1	0.398
834/4	0.036
839/5	0.020
482/2	0.016
118/3	0.102
699/4	0.049
831/1, 836	0.125
841/1	0.162
494	0.308
511	0.214
616	0.421
481	0.231
135/1	0.152
396/2	0.130
410	0.065
803/1	0.330
521	1.598
142	0.202
443/1	0.097
139/1	0.320
552/1	0.295
656/7	0.020
686/4	0.086
141	0.222
654/5ख	0.101
645/4	0.201
649/3	0.035
649/4	0.016
650/3	0.114
518/3	0.077
634/2क	0.243
635/2	0.105
482/4	0.016
455/1ग	0.223
689/25	0.024
689/1	0.031
670/2क	0.870
670/2ख/2	0.312
671/1क	0.077
671/2	0.020
672	0.113
514/2	0.065
573/4	0.075
845/5	0.064
685	0.413
691/1	0.166
692/1	0.040
692/2	0.162
693/1	0.705
399/2	0.300
621/4	0.196
675/4	0.147
400/2	0.123
593	0.214
644/2	0.188
689/14	0.045
833/1	0.368
455/2ख	0.060
461/3ख	0.190
605/3क	0.105

(1)	(2)	(1)	(2)
632/1	0.243	135/2	0.076
634/1क	0.085	519/3	0.113
645/1	0.275	640/2	0.043
670/2ख/4	0.120	642/2	0.035
679	0.061	647/1	0.076
847/3, 848/3	0.209	648/2	0.149
398/1	0.112	607/1	0.299
473/1	0.099	532	1.295
573/1	0.065	542/2	0.214
845/1	0.202	560/4	0.016
390	0.587	561/2	0.016
391	0.049	562/2	0.117
254	0.214	562/4	0.089
566	0.138	564	0.142
570	0.291	567	0.777
688	1.049	721	0.227
846/1ग	0.170	722	0.134
689/4	0.036	723/1	0.259
654/3	0.214	723/2	0.227
654/6	0.243	840	0.457
654/7	0.089	444	0.166
388/1	0.025	397/3	0.129
389/2	0.200	621/9	0.065
513	0.061	675/8	0.050
516/1	0.124	492	0.170
656/3	0.020	689/3	0.052
565/2	0.041	325/1	0.085
397/2	0.129	419/2	0.051
621/8	0.065	637/1	0.105
675/7	0.049	641/1	0.148
562/3	0.041	644/1	0.188
565/1	0.425	651/2	0.137
565/3	0.202	613/2	0.054
577	0.089	574	0.020
578	0.635	575/2	0.065
580/1	0.522	638/2	0.660
581/1	0.101	639	0.445
580/2	0.101	384/1	0.223
581/2	0.215	501/2	0.070
582	0.356	499	0.178
589/4	0.008	501/1	0.027
517/4	0.109	503	0.073
654/2ख	0.210	451/3	0.012
789/3	0.129	633/1ख	0.174
831/2, 836	0.287	409/1	0.045
382/3	0.082	409/2	0.008
119/4	0.083		

(1)	(2)	(1)	(2)
832/1	0.211	[illegible]	0.348
419/1ख	0.129	[illegible]43/2	0.680
632/2	0.105	654/1	0.539
645/2	0.129	436/3ग	0.073
384/2	0.429	527/2	0.081
517/2	0.077	529/1	0.068
517/3	0.113	529/2	0.053
525/2	0.547	530/1	0.142
571/2	0.320	718/1	0.067
831/5, 836	0.096	526/2	0.166
841/3	0.243	527/3	0.089
119/5	0.083	624/5	0.231
135/3	0.076	436/1	0.083
590/2	0.405	400/3	0.129
736	0.611	260/1, 260/2, 260/3	0.786
738/1	0.032	560/3	0.364
738/1ख	0.028	846/1च	0.045
738/2	0.061	384/3	0.182
739	0.202	497/2	0.045
742	0.077	525/5	0.069
831/9, 836	0.028	831/4, 836	0.125
839/10	0.020	515/1	0.259
604/5	0.014	617/1	0.694
703/3	0.138	833/2	0.263
382/5	0.336	689/29	0.044
388/2	0.064	435/1	0.202
392/1	0.085	663/1ख	0.094
505/1	0.206	663/2	0.117
517/1	0.077	664/4	0.222
520	0.162	665/2	0.137
524	0.142	665/3क	0.155
653/3	0.351	125/1	0.056
662/2ख	0.045	126/2	0.061
670/2ख/3	0.202	126/5	0.072
478/1	0.243	127/1	0.089
398/3	0.222	127/7	0.066
845/6	0.219	131/3	0.117
637/4	0.358	138/1	0.117
638/3	0.069	656/2	0.056
641/4	0.075	122/1	0.238
455/1ख	0.279	258/3, 258/2	0.081
605/2ख	0.189	709/2	0.337
383/2	0.162	710	0.069
508	0.150	711/3	0.291
509/2	0.073	744	0.955
137/1	0.259	452/2	0.162

(1)			(2)
791/[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.134
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.194
[illegible]	[illegible]	625/2	0.121
[illegible]	0.121	625/3	0.029
839/9	0.020	626/1	0.138
385/2	0.145	627/5	0.032
656/4	[illegible]	630/2	0.053
126/3	0.065	652/2घ	0.121
127/8	0.061	627/1	0.227
131/5	0.059	718/5	0.045
662/2ग	0.097	479/2ग	0.081
664/6	0.099	535/2	0.028
830/2	0.089	398/2	0.111
844/4	0.176	573/2	0.076
631/3	0.178	845/2	0.073
640/4	0.065	473/2	0.099
642/6	0.103	146/2	0.054
646/4	0.275	147/1	0.029
615/2	0.117	147/4	0.113
263/1	0.154	147/5	0.032
792/2	0.081	540/2	0.388
699/2, 700	0.445	541/2	0.105
803/3	0.225	544/2	0.129
805	0.304	545/2	0.032
807	0.251	559/1	0.328
630/6	0.720	560/1	0.405
640/3	0.081	560/2	0.450
677/2	0.048	561/1	0.498
677/3	0.039	406	0.166
678, 680	0.543	653/1	0.277
681	0.146	119/2	0.368
682	0.142	129/2	0.162
684	0.271	568/2	0.154
518/1	0.210	413/1, 413/3, 413/2, 413/4	0.040
478/2	0.243	426/2	0.259
264	0.364	576/2	0.103
537	0.352	620/2	0.053
612/2	0.077	624/4	0.170
541/3	0.101	838/1	0.077
543/1	0.093	419/3	0.050
543/2	0.065	651/6	0.138
556/2	0.020	613/3	0.055
557/2	0.065	637/3	0.105
589/3	0.008	641/2	0.148
549	0.113	589/2	0.008
832/2	0.210	711/2	0.219
544/1	0.134	526/3	0.154

(1)	(2)
527/1	0.113
261/2	0.109
262	0.364
261/1	0.271
542/1	0.970
434	0.040
438/1	0.356
576/1	0.265
605/3ख	0.024
651/1	0.074
459	0.401
420/7	0.030
421/3	0.073
132/2	0.097
675/3	0.049
397/1	0.118
399/1	0.012
621/3	0.066
382/2	0.082
435/5	0.063
436/3घ	0.040
843/2	0.274
483/3	0.067
603	0.150
403/1	0.125
455/2ग	0.202
146/1	0.083
497/1	0.049
498	0.113
500	0.093
506/3	0.045
525/4	0.073
615/1क	0.172
634/1ख	0.085
519/2	0.065
550/2	0.076
846/1ख	0.148
461/4घ	0.125
656/8	0.034
689/22	0.036
642/3	0.035
647/2	0.225
831/10, 836	0.028
792/4	0.081
806	0.125
420/3	0.081
630/1	0.193
387/3	0.240
621/7	0.101
660/3	0.078
675/6	0.050
548/4	0.018
403/3	0.134
651/4	0.085
669	0.101
670/1ग	0.227
670/2ख/1	0.101
792/1	0.081
846/2	0.186
383/1	0.324
491	0.162
131/4	0.118
422/4	0.081
448/2	0.089
122/2	0.600
810/3	0.053
828/8	0.062
386	0.466
477	0.919
828/5	0.103
422/2	0.081
429	0.398
830/3	0.100
828/9	0.100
621/1	0.101
689/8	0.097
837/3	0.101
839/6	0.045
839/8	0.069
790/2	0.158
675/2	0.148
683	0.174
823	0.242
825	0.081
120/7	0.040
653/2	0.230
847/2, 848/2	0.209
598	0.028
602	0.150
483/2	0.067
515/2	0.040
136	0.251
389/1	0.262

(1)	(2)	(1)	(2)
621/2	0.302	461/4ज	0.081
548/2	0.057	479/2क	0.081
423/1	0.458	426/1	0.219
637/5	0.202	837/4	0.053
614/2ख	0.190	528	0.165
665/7	0.070	569	0.061
666	0.142	382/4	0.082
667/1	0.210	134/1ख	0.101
438/2	0.145	134/2	0.101
608	0.105	95	0.437
689/12	0.061	96	0.773
120/4	0.014	661/1	0.196
443/2	0.186	609/1	0.085
654/4	0.057	610/1	0.587
828/2	0.020	611	0.567
652/3	0.372	699/1	0.650
659/1	0.058	614/1	0.105
689/23	0.030	614/2क	0.190
476/1	0.114	572	0.372
828/6	0.100	575/1	0.178
689/19	0.020	604/1	0.202
435/2	0.231	652/1	0.105
584	0.299	120/8	0.020
590/1	0.239	506/1	0.095
642/4	0.103	530/2	0.024
647/3	0.405	718/3	0.066
629/2	0.223	701/3, 702/2	0.409
605/2ग	0.121	804	0.263
633/1क	0.093	677/1	0.084
689/13	0.045	145/1	0.142
482/3	0.016	526/1	0.028
420/1	0.081	624/1	0.170
421/1	0.243	624/2	0.061
518/2	0.077	670/1क	0.125
645/3	0.200	407	0.117
387/2	0.240	555/1	0.809
621/6	0.106	382/1	0.089
675/5	0.049	476/2	0.109
660/2	0.079	401/3	0.049
548/3	0.018	509/1	0.227
718/2	0.202	525/1	0.045
531/1	0.053	525/3	0.283
718/4	0.044	571/1	0.243
506/5	0.121	831/6, 836	0.028
550/3	0.149	612/3	0.202
605/4	0.228	816	0.664
405/1	0.210	480/2	0.218

(1)	(2)
134/1ग	0.101
697	0.121
845/7	0.194
125/3	0.044
125/5	0.044
126/4	0.066
127/3	0.052
127/4	0.088
127/5	0.052
131/2	0.117
146/4	0.067
147/3	0.016
448/1	0.081
656/5	0.073
656/6	0.029
658	0.105
659/2	0.028
665/3ख	0.134
730/1	0.045
576/3	0.190
790/1	0.206
629/1	0.429
690	0.987
800	0.040
573/6	0.151
484/1	0.097
435/3	0.089
601	0.166
436/2	0.129
436/4	0.024
633/1ग	0.093
423/5	0.162
424/1	0.188
673	0.040
438/6	0.058
438/7	0.146
468/1, 468/2	0.070
665/5	0.153
योग 1158	184.633

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-देवलसुर्रा, प.ह.नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-45.415 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
225/2	0.048
234/2	0.620
89/1ख, 89/3, 89/2, 89/1ख	0.121
92/1क/2, 92/2 क/2, 92/1ग, 92/1ख, 92/2ख, 92/2ग, 92/2घ, 92/1क/1, 92/2क/1	0.162
99/1ख, 99/3, 99/2, 99/1क	0.061
104/1क/2	0.073
105/1ख	0.091
110/1ख	0.013
115/1	0.020
135/1ख	0.021
138/1	0.035
141/1ख	0.030
156/1ख	0.032
159/1ख	0.083
159/2	0.219
159/3ख	0.006
266/1ख	0.085
267/2	0.132
275/2	0.036
282/2ख	0.122
285/2	0.405
156/1ग	0.032
90/1ख	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
140/2क/2, 140/2घ, 140/2ख, 140/1, 140/2ग, 140/2क/1	0.098	225/1	0.049
		105/3	0.091
81/4, 81/2, 81/1, 81/3	0.275	104/1ग	0.074
262	0.105	141/4ख	0.025
282/5	0.158	87/5, 87/2, 87/3, 87/4, 87/1	0.056
324	0.008	250/3, 251/3, 250/2, 251/2, 250/1, 251/1	0.150
268	0.097		
269	0.271	48/1क	0.043
273/1	0.142	128/3क	0.033
157/5	0.049	147/2क	0.009
161	0.239	282/1घ, 283	0.154
292/1	0.093	284	0.057
291/2	0.053	285/1	0.343
290	0.360	157/4	0.041
72	0.172	160/1	0.020
288	0.134	169/1	0.008
154/3	0.057	68/3	0.210
225/3	0.048	162/3	0.271
48/1ङ	0.140	49/2	0.056
147/2घ	0.020	366/1, 366/2	0.040
154/2घ	0.034	272/1	0.066
153	0.057	222/1	0.065
155	0.170	244/1	0.019
48/4	0.164	245/1	0.127
49/4	0.046	255/3	0.093
51/4	0.031	271/3	0.126
70/8, 70/2, 70/4, 70/5, 70/1, 70/3, 70/7, 70/6	0.365	289/3	0.032
		236	0.113
53/1	0.195	225/5	0.048
240/2	0.049	163	0.490
278/2	0.138	90/2	0.064
279/2	0.049	104/1क	0.074
372/1, 372/3, 372/2	0.243	105/2	0.091
282/1क, 283	0.081	110/2	0.027
173	0.162	115/2	0.020
241/3	0.040	116/2	0.026
128/3ख	0.036	131	0.024
51/2	0.031	133/2	0.007
49/3	0.047	135/2	0.044
223	0.150	136/2	0.034
224	0.045	138/2	0.035
287/2	0.093	139/2	0.030
255/2	0.093	141/2	0.060
271/2	0.127	48/5	0.164
289/2	0.033	48/1घ	0.140
50/2, 50/3, 50/1	0.121	147/2ग	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
154/2ग	0.034	260/1	0.028
154/4	0.057	129/1	0.170
265	0.045	157/1	0.048
238	0.057	287/3	0.024
273/2	0.142	225/4	0.049
260/2	0.032	287/6	0.017
241/2	0.040	164/4	0.109
282/1ग		65/1	0.036
283	0.016	94	0.061
234/1	0.040	294	0.137
248/3	0.041	127/1	0.004
248/4	0.042	286/2	0.202
292/3	0.045	109	0.040
49/1	0.163	111	0.109
51/1	0.077	113	0.049
175	0.020	128/2	0.073
160/4	0.020	364	0.242
282/4	0.238	368/1	0.263
368/2	0.097	221	0.089
248/1	0.040	241/5	0.041
248/2	0.043	239	0.045
292/2	0.044	258	0.053
216	0.016	240/1	0.049
218	0.016	233/1	0.025
220	0.020	237/1	0.024
291/1	0.473	247/1	0.061
293	1.048	252/1	0.077
261	0.097	145/3	0.160
166/3	0.139	266/2	0.166
166/4	0.036	152	0.125
167/2	0.227	156/2	0.081
233/2	0.024	160/3	0.219
237/2	0.025	165	0.214
247/2	0.060	168	0.388
252/2	0.077	149/1	0.134
365/2, 365/1	0.040	170/1	0.121
146/1	0.362	102	0.138
145/1	0.246	182/3	0.279
69/2ग	0.054	368/3	0.162
126/3	0.060	130	0.162
231/1ग	0.059	147/2ङ	0.020
169/2	0.028	126/1	0.059
229	0.150	69/2क	0.054
230/2	0.142	231/1क	0.059
232/2	0.186	230/1	0.032
101/1, 101/3, 101/2	0.133	232/1	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
256	0.105	76/1	0.081
59	0.174	69/1	0.141
235	0.097	76/4	0.041
68/1	0.223	68/2	0.093
76/2	0.040	76/5	0.020
164/1	0.134	244/3	0.020
150/2	0.194	245/3	0.126
285/3	0.255	272/3	0.066
369	0.243	222/3	0.065
370	0.243	217	0.016
371	0.324	219	0.032
166/1	0.140	259	0.032
166/2	0.036	222/4	0.064
167/1	0.227	147/1	0.058
227/1	0.101	48/2	0.164
227/2	0.113	48/1ख	0.140
150/1क	0.028	147/2ख	0.020
69/3क	0.077	154/2क	0.027
69/4क	0.077	128/1	0.210
69/5क	0.016	145/2	0.246
69/6क	0.122	146/3	0.362
164/2क	0.014	244/4	0.019
231/3क	0.087	245/4	0.126
286/1	0.037	272/4	0.065
118	0.125	373	0.506
124/2	0.405	103	0.219
272/2	0.809	104/2	0.069
257/1	0.020	106	0.316
257/2	0.024	321	0.290
91/1	0.103	74/1, 74/2	0.109
107/1	0.062	77/1, 77/2	0.121
143/1	0.143	84	0.113
144/1	0.116	263	0.081
76/3	0.020	270	0.380
112	0.012	286/4	0.101
119	0.089	162/1	0.198
151	0.198	253	0.073
232/3	0.154	170/2	0.049
276/1	0.121	231/2	0.137
276/2	0.061	171	0.125
280/1	0.129	172	0.158
281	0.101	241/6	0.041
137	0.206	180	0.008
75/2	0.134	68/4	0.081
249/2	0.049	282/1ख, 283	0.081
73/2, 73/3, 73/1	0.355	164/3	0.117

(1)	(2)	(1)	(2)
280/2	0.162	136/3	0.033
108/1	0.037	138/3	0.035
114/2	0.032	139/3	0.030
117	0.077	140/3	0.061
120	0.016	148/2, 149/1	0.194
121	0.028	158	0.150
122	0.040	278/3	0.134
123/1	0.174	129/2	0.146
132	0.040	60	0.660
134	0.227	69/2ख	0.054
75/3	0.137	126/2	0.059
148/1	0.117	231/1ख	0.060
51/3	0.057	69/3ख	0.077
61	0.690	69/4ख	0.077
64	0.069	69/5ख	0.016
65/2	0.045	69/6ख	0.121
66	0.069	150/1ख	0.029
67	0.279	164/2ख	0.014
71/1, 71/2	0.295	231/3ख	0.087
86	0.053	286/5	0.041
108/2	0.036	57	0.089
246/1क, 246/1ख, 246/3, 246/4	0.129	58	0.085
157/3	0.042	85	0.089
122/2	0.065	91/2	0.103
244/2	0.019	107/2	0.063
245/2	0.127	143/2	0.144
272/2	0.066	144/2	0.116
362/1	0.186	147/3	0.027
174	0.154	48/3	0.163
228	0.316	48/1ग	0.140
157/2	0.042	154/2ख	0.034
243	0.316	154/1	0.011
255/1	0.093	160/2	0.024
271/1	0.127	362/2, 362/3	0.231
289/1	0.032	75/1	0.271
88	0.008	367/1	0.057
125	0.040	367/2	0.053
127/2	0.069	133/4	0.011
142	0.279	135/4	0.043
146/2	0.109	136/4	0.033
90/3	0.064	138/4	0.035
110/3	0.027	139/4	0.030
115/3	0.020	141/4क	0.036
116/3	0.024	241/1	0.041
133/3	0.011	52	0.138
135/3	0.043	79	0.101

(1)	(2)
80	0.061
241/4	0.040
53/2	0.595
55/1	0.040
260/3	0.032
260/4	0.028
162/2	0.057
90/1क	0.032
104/1क/1	0.074
105/1क	0.091
156/1क	0.033
159/1क	0.083
159/3क	0.006
266/1क	0.085
267/1	0.131
275/1	0.037
282/2क	0.121
287/4	0.024
287/5	0.024
148/3, 149/2	0.190
264	0.065
274	0.089
278/1	0.057
287/4	0.057
110/4	0.027
115/4	0.025
116/4	0.024
136/1	0.033
242	0.020
286/3	0.116
90/4	0.065
116/1	0.024
133/1	0.011
135/1क	0.022
141/1क	0.030
286/6	0.037
110/1क	0.014
139/1	0.030
254	0.202
योग 488	45.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कांदागढ़, प.ह.नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-65.173 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
104/1घ	0.093
47/1झ, 47/1छ, 47/1ख, 47/2, 47/1ट, 47/1ग, 47/1ङ, 47/1घ, 47/1ड, 47/1च, 47/1ज, 47/1ञ, 47/1ठ, 47/1ढ, 47/1क	3.315
220/3च	0.047
220/3ग	0.046
92/3, 92/1, 92/4, 92/2	1.149
157/18	0.038
323/6	0.065
166/2	0.051
207/3, 213/4, 210/3, 211/1, 212/1/2	0.061
159/1झ	0.088
165/7	0.074
248/8	0.012
117	0.040
131	0.134
137/1	0.073
249/5	0.160
325/2, 325/3, 325/5, 325/1, 325/6, 325/4	0.432
258/10, 258/2, 258/1छ, 258/1ख, 258/1ङ, 258/13, 258/7, 258/9, 258/1झ, 258/4, 258/1ज, 258/8, 258/1ग, 258/12, 258/6, 258/11, 258/5, 258/1क, 258/1च, 258/3, 258/1ग, 258/1घ	0.809

(1)	(2)
251/4	0.036
100/1	0.072
100/2	0.146
139/2	0.101
139/4	0.101
249/7	0.222
216	0.260
217	0.299
245	0.158
214/1	0.061
136/2	0.049
141/1/2, 142/2/2	0.136
249/3	0.121
250	0.077
159/1ग	0.076
159/1च	0.075
220/3ङ	0.046
165/5	0.074
220/3क	0.046
228/9	0.081
228/6	0.112
129/2	0.371
159/1ख	0.088
133/1क	0.029
248/4	0.012
115/6	0.122
140/1	0.077
248/5	0.105
158/7	0.016
160/6	0.129
223/4	0.123
244/6	0.054
108/2, 108/1, 108/5, 108/4, 108/3, 108/6	0.257
207/3, 213/4, 210/3, 211/1, 212/1/3	0.061
207/1घ	0.046
220/2	0.017
220/4	0.018
222/2	0.114
222/4	0.115
223/5	0.108
322/4, 322/3, 322/7, 322/1, 322/2, 322/6, 322/5	0.828
223/2	0.108
224/1	0.047
224/2	0.048
244/11	0.041
207/1च	0.053
220/3ख	0.046
210/2ख	0.101
148/732ख	0.060
142/1घ	0.026
244/10	0.036
218/7	0.032
222/7	0.019
223/8	0.027
225/4	0.006
160/9	0.094
96/1	0.369
96/3	0.089
102	0.494
148	0.825
149	0.194
154	0.672
203/3	0.045
204	0.320
205	0.368
206	0.202
206/733	0.089
329/1	0.567
248/7	0.046
228/7	0.162
159/1ठ	0.354
57/3	0.023
156/1	2.700
211/3	0.173
214/2	0.121
166/1	0.306
207/3, 210/3, 211/2, 212/1, 213/2	0.135
159/1ट	0.008
203/1ढ	0.043
91/1, 91/4, 91/7, 91/5, 91/3, 91/2, 91/8	0.392
164/1	0.112
107/1	0.017
222/3	0.019
223/1	0.027
225/2	0.008
227/2	0.044
158/3	0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
160/7	0.095	93/5	0.031
218/2	0.032	244/4	0.036
244/2	0.036	158/5	0.003
251/7	0.036	107/5	0.019
157/17	0.037	160/4	0.056
323/5	0.065	334/3	0.097
215/1	0.060	97/6	0.119
171/3	0.117	169/1	0.121
42	0.129	159/1ङ	0.113
115/1	0.024	203/1ट	0.203
169/4	0.815	218/5	0.041
219/1	0.082	97/5	0.120
221/1	0.05	153/6	0.129
226/1	0.031	106	0.275
320/1	0.295	111	0.672
321/2	0.18	156/4	0.121
324/1क, 324/1ख	0.162	248/10	0.011
324/2	0.162	171/4	0.116
327	0.558	97/1	0.120
153/5	0.077	171/1	0.117
251/8	0.036	171/2	0.117
207/3, 213/4, 210/3, 211/1, 212/3/4	0.061	148/732क	0.061
		207/1क	0.052
159/1घ	0.053	210/1क	0.101
248/2	0.115	160/10	0.129
115/5	0.032	165/6	0.200
334/2	0.198	165/8	0.096
249/9	0.133	249/2	0.183
156/2	0.676	326/1	0.356
157/6	0.020	104/8	0.085
203/1छ	0.162	104/2	0.085
244/3	0.054	104/9	0.085
215/2	0.061	249/10	0.022
157/11	0.005	247/1च	0.022
157/12	0.020	143/2/5, 144/2/5	0.061
93/4	0.030	145/5, 146/5	0.131
143/1/2, 144/1/2	0.030	44/4	0.121
145/2, 146/2	0.065	44/6	0.089
203/1झ	0.061	150/1	0.078
157/10	0.005	151/2	0.068
157/13	0.020	160/11	0.130
203/1ज	0.061	57/1, 57/5, 57/4	0.212
93/3	0.030	335	0.486
203/1न	0.061	140/2	0.089
157/14	0.005	141/2	0.247
157/15	0.020	142/1ख	0.109

(1)	(2)	(1)	(2)
165/3	0.453	105/3	0.109
168	0.162	207/1ग	0.109
248/1	0.275	109/2, 109/1	0.397
99/4	0.101	129/1	0.163
209/4	0.057	228/4	0.081
159/1छ	0.089	323/1	0.260
115/3	0.081	323/3	0.260
248/9	0.011	157/1	0.150
165/9	0.074	93/2	0.030
160/5	0.607	203/1ङ	0.060
110/4	0.107	157/4	0.005
110/6, 118/2	0.155	157/5	0.021
101/2	0.093	104/7	0.389
145/7, 146/7	0.017	133/1घ	0.033
152/1	0.267	43/1	0.184
130/2	0.07	107/4	0.020
94/6, 94/1/2, 94/5, 94/1, 94/3/1, 94/3/2	1.239	164/6	0.061
		126	0.166
164/5	0.082	113	0.316
138	0.093	133/2	0.032
104/4	0.128	134	0.356
112	0.19	135	0.295
133/1ङ	0.034	152/2	0.121
43/2	0.184	337	0.656
156/3	0.121	249/4	0.405
153/1ख	0.045	110/1	0.108
129/3	0.049	110/2, 118/1	0.155
129/4	0.084	139/1	0.073
129/5	0.073	139/3	0.029
247/2	0.102	203/1ण	0.081
107/6	0.010	133/1ख	0.033
164/7	0.026	133/1च	0.242
329/2	0.040	326/2, 326/3, 326/3	0.179
329/3	0.081	153/7	0.077
99/5	0.101	225/1	0.004
169/2	0.104	244/12	0.041
158/2	0.011	334/1	0.101
218/1	0.038	246/2	0.083
220/1	0.056	203/1च	0.053
222/1	0.076	219/2	0.083
227/1	0.009	221/2	0.051
244/1	0.098	226/2	0.030
251/3	0.036	320/3	0.296
103/1	0.206	100/4	0.405
105/1	0.162	214/3	0.081
321/1	0.506	157/19	0.075
100/3	0.162		

(1)	(2)	(1)	(2)
249/6	0.133	151/4	0.047
137/2	0.105	153/4	0.049
141/1/1, 142/2/1	0.151	136/4	0.142
320/2	0.32	103/7	0.101
136/1	0.141	105/5	0.083
251/1	0.019	133/1छ	0.029
144/2/6, 143/3/6	0.061	228/8	0.057
145/6, 146/6	0.066	99/1	0.016
251/5	0.036	99/2	0.210
110/5	0.108	247/5	0.081
110/7, 118/3	0.155	203/1ठ	0.053
328	0.304	110/3	0.809
157/7	0.081	136/3	0.142
107/3	0.018	169/3	0.121
164/4	0.104	104/1क	0.097
94/7, 94/8	0.073	143/1/1, 144/1/1	0.030
228/3	0.243	143/1/4, 144/1/4	0.031
114	0.049	145/1, 146/1	0.065
165/4	0.227	145/4, 146/4	0.049
229	0.077	157/16	0.037
171/5	0.116	323/4	0.065
251/6	0.036	228/2	0.283
97/4	0.120	228/5	0.182
145/8, 146/8	0.066	243	0.121
99/6	0.102	248/3	0.085
143/1/3, 144/1/3	0.030	248/6	0.101
145/3, 146/3	0.066	142/1क	0.052
103/2	0.101	142/1ग	0.027
105/2	0.083	107/2	0.019
157/9	0.075	59/2, 59/1	0.446
159/1ज	0.089	153/1ग	0.040
165/10	0.074	159/1क	0.218
246/1	0.083	170	0.607
166/4	0.051	209/2	0.172
208	0.247	251/2	0.235
44/5	0.152	310	0.539
150/4	0.058	336	0.312
151/5	0.095	247/1क	1.007
209/1	0.058	159/1ङ	0.076
147/1	0.129	218/4	0.041
147/2	0.008	244/7	0.036
207/2, 210/2, 211/1, 213/1	0.330	158/9	0.003
159/1ञ	0.053	151/1	0.04
44/3	0.131	130/1	0.043
98/5	0.057	132	0.146
150/3	0.099	104/3	0.128

(1)	(2)
207/1ङ	0.046
133/1ग	0.005
247/3	0.277
247/1ख	0.089
249/1	0.164
104/1ग	0.093
247/1ग	0.023
249/8	0.096
58/1	0.042
104/1ख	0.093
58/2	0.121
218/3	0.011
244/5	0.083
158/6	0.009
247/1छ	0.022
249/12	0.023
218/6	0.032
222/6	0.019
225/3	0.006
160/8	0.095
107/7	0.010
164/8	0.026
165/1	0.423
101/1	0.178
104/5	0.093
104/6	0.161
223/7	0.027
244/9	0.036
247/1ङ	0.022
249/11	0.023
323/2	0.066
157/8	0.037
244/8	0.036
158/8	0.003
98/3	0.053
150/2	0.125
44/1	0.184
44/2	0.097
98/1	0.101
151/3	0.051
151/6	0.169
153/2	0.150

(1)	(2)
153/3	0.125
247/6	0.081
220/3घ	0.047
57/2	0.023
115/2	0.032
116	0.061
210/4, 211/4, 212/2, 213/3	0.394
97/2	0.340
97/3	0.120
203/1द	0.053
209/3	0.057
247/4	0.102
115/4	0.081
99/3	0.210
103/3	0.109
151/7	0.028
153/1क	0.016
166/3	0.102
164/3	0.083
98/4	0.210
160/12	0.130
165/2	0.231
203/2	0.125
99/7	0.101
228/1	0.054
158/4	0.016
207/1ख	0.046
220/5	0.018
222/5	0.115
223/3	0.120
223/6	0.108
224/3	0.048
योग 567	65.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-हाटकचोरा, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	59/3	0.028
योग		0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-शहर सौन्दर्यीकरण अन्तर्गत बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उत्तर बस्तर संभाग क्र.1 जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/7/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-बस्तर
(ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.77 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1832	0.04
	1833	0.07
	1831	0.19
	1844	0.13
	1845	0.17
	1846	0.21
	1770	0.14
	1769	0.24
	1766	0.07
	1708	0.03
	1765	0.05
	1764	0.05
	1715	0.12
	1716/4	0.20
	1719/1	0.06
योग	15	1.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत आमागुड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बलरामपुर, दिनांक 25 फरवरी 2012

रा.प्र.क्र./2/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-भगवानपुर जिरात
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-78.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
6	0.06
7	0.19
8/1	0.06
8/2	0.06
9	0.10
10/1	0.07
10/2	0.06
11	0.30
12	0.29
13	0.29
14/1	0.66
14/2	0.41
14/3	0.41
17/1	0.29
17/2	0.28
19	0.36
20	0.32
21	1.00
22/1	1.50
22/2	0.50
23/1	0.43
23/2	0.43
24	0.17
34/1	0.25
34/2	0.25
34/3	0.24
35	0.22
36	0.21
37	0.16
44/1	0.23
44/2	0.27
45	0.10
46/1	0.21
48/1	0.26
48/2	0.25
48/3	0.26
48/4	0.25
48/5	0.25
49	0.15
50	0.10
51/1	0.06
51/2	0.06
51/3	0.05
51/4	0.05
51/5	0.05
52	0.22
53	0.31
54	0.24
55/1	0.10
55/2	0.10
56	0.30
57/1	0.10
57/2	0.10
57/3	0.10
57/4	0.10
57/5	0.10
69	0.09
70/1	0.06
70/2	0.06
70/3	0.07
70/4	0.06
71	0.23
72/1	0.25
72/2	0.25
72/3	0.04
72/4	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
72/5	0.03	125	0.30
72/6	0.03	126/1	0.13
72/7	0.03	126/2	0.12
73	0.10	127	0.60
89	0.44	128	0.05
90	0.29	129	0.05
91	0.12	130	0.19
92	0.18	131/1	0.12
93	0.11	131/2	0.12
94	0.11	132/1	0.06
95	0.11	132/2	0.07
97	0.10	132/3	0.07
100	0.02	132/4	0.07
101/1	0.07	132/5	0.07
101/2	0.07	133/1	0.09
102	0.44	133/2	0.20
104	0.06	133/3	0.28
105	0.14	134	0.18
106	0.19	135	0.19
107	0.10	136/1	0.09
108/1	0.12	136/2	0.09
108/2	0.12	137	0.08
108/3	0.21	138/1	0.05
108/4	0.22	138/2	0.06
109	0.28	138/3	0.04
110/1	0.08	139	0.32
110/2	0.08	140/1	0.22
110/3	0.08	140/2	0.23
110/4	0.05	141	0.37
111/1	0.01	142	0.38
111/2	0.55	143	0.61
111/3	0.15	146	0.38
111/4	0.14	147/1	0.11
112	0.56	147/2	0.10
113	0.24	148	0.15
114/1	0.17	149/1	0.09
114/2	0.17	149/2	0.09
115	0.20	150	0.17
116	0.21	151/1	0.27
118/1	0.31	151/2	0.26
118/2	0.20	151/3	0.26
118/3	0.11	151/4	0.27
119	0.30	151/5	0.20
121	0.05	151/6	0.25
123	0.23	151/7	0.26
124	0.31	152	0.31

(1)	(2)	(1)	(2)
153/1	0.28	197	0.36
153/2	0.40	200	0.35
153/3	0.27	203/1	0.09
153/4	0.29	203/2	0.08
153/5	0.27	203/3	0.08
154/1	0.30	204	0.17
154/2	0.31	205/1	0.15
155	1.30	205/2	0.15
156	0.73	206/1	0.22
157	0.55	206/2	0.23
158/1	0.89	207	0.42
158/2	0.34	208/1	0.24
159	0.03	208/2	0.23
160	0.13	209	0.25
161	1.31	210	0.25
162	0.39	211	0.30
163/1	0.08	212/1	0.03
163/2	0.07	212/2	0.04
164/1	0.18	212/3	0.04
164/2	0.19	212/4	0.03
165	0.59	212/5	0.03
166	0.46	213/1	0.05
167	0.42	213/2	0.05
168/1	0.07	213/3	0.05
168/2	0.06	213/4	0.05
168/3	0.06	213/5	0.05
168/4	0.07	214/1	0.17
168/5	0.07	214/2	0.16
169	0.54	215	0.21
170	0.86	216	0.60
171	1.22	217/1	0.61
172/1	0.90	217/2	0.61
172/2	0.89	218	0.98
173	0.51	219	0.32
174	1.18	220/1	0.46
175	0.50	220/2	0.16
176	0.05	221	0.06
177	0.09	222	0.31
190	1.00	223	2.15
191	0.75	227/1	0.17
195	0.25	227/2	0.18
196/1	0.10	228/1	0.03
196/2	0.10	228/2	0.03
196/3	0.10	228/3	0.03
196/4	0.10	228/4	0.03
196/5	0.10	228/5	0.03

(1)	(2)
228/6	0.03
228/7	0.03
229	0.16
230	1.70
231	0.76
232	1.75
245	0.20
246	0.28
248/1	0.05
248/2	0.06
248/3	0.05
249	0.27
263	0.05
267	0.10
268	0.35
269	0.97
270	0.59
271	0.01
272	0.04
273	0.11
274	0.07
275	0.12
276	0.10
277	0.10
278	0.20
279	0.17
281	0.20
282	0.43
283	0.07
284/1	0.11
284/2	0.20
284/3	0.11
284/4	0.11
285	0.51
286	0.11
287	0.11
288	0.75
289	0.13
290	0.23
291/1	0.05
291/2	0.25
292	0.30
297	0.07
299	0.23
300	0.07
301	0.93
302	0.26
303/1	0.07
303/2	0.07
303/3	0.06
305	0.12
306	0.25
307	0.18
308	0.45
309	0.04
312	0.13
313	0.11
314	0.02
315	0.07
316	0.19
317	0.81
318	0.40
335	0.02
336	0.01
योग 314	78.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सी.एम.डी.सी. की सोंडिहा कोल परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 25 फरवरी 2012

रा.प्र.क्र./3/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-भगवानपुर खास
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-222.774 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.35
3	0.24
3/1040	0.17
4	0.92
5/1	0.46
5/2	0.45
6	0.29
8	0.30
9	0.29
10	0.46
11/1	0.10
11/2	0.08
11/3	0.10
11/4	0.10
11/5	0.10
11/6	0.10
11/7	0.10
11/8	0.10
12/1	0.38
12/2	0.39
12/3	0.38
14	1.13
15	1.19
16	0.77
17	0.65
18	0.50
19	1.23
21	0.12
22	0.82
23	1.82
24	1.29
25	0.69
26	0.52
27	0.61
29	1.77
31	1.82
34	0.40
37	1.29
44	0.17
49	1.95
50	0.33
51	0.28
53	0.28
54/1	0.19
54/2	0.18
55	1.29
57	0.63
58/1	0.25
58/2	0.35
59	1.42
60	0.49
63	0.34
65	0.28
69/1	0.39
69/2	0.10
69/3	0.09
69/4	0.09
69/5	0.10
80	0.42
81	0.57
83	1.86
84	0.37
88	0.97
89/1	0.38
89/2	0.37
89/3	0.38
90/1	0.29
90/2	0.28
90/3	0.27
90/4	0.27
90/5	0.27
90/6	0.27
91	0.17
92	0.17
94/1	0.16
94/2	0.32
94/3	0.32
94/4	0.16
96	1.00
102	0.36
106	0.78
115	0.69
116	0.95
117	0.95
120	0.17
121	0.17
122	0.17
123	1.58
123/1027	0.40
125	0.40
128/3	0.25

(1)	(2)	(1)	(2)
199	1.150	312	0.810
200	1.340	313	0.270
203	1.650	314	0.150
204	1.390	315	0.250
208	1.100	413	0.25
213	0.916	440	0.40
214	0.376	452/1	0.19
242	0.245	452/2	0.04
245	1.512	452/3	0.05
246/1	0.360	452/4	0.05
246/2	0.360	452/5	0.04
246/3	0.360	453	0.23
246/4	0.360	454/1	0.15
249	0.270	454/2	0.16
254	0.110	454/3	0.16
255	0.080	455	0.20
256	0.080	465	0.39
258	0.608	467/1	0.300
259/2	0.840	467/2	0.300
265	0.18	467/3	0.300
283	0.075	469	0.300
284/1	0.180	471	0.270
284/2	0.180	472	0.020
284/3	0.220	473	0.080
284/4	0.220	474/1	0.450
285	0.252	474/2	0.450
287	0.250	477	0.490
289	0.600	547	0.48
290/1	0.300	548	0.18
290/2	0.220	550	0.03
291	0.340	553	0.10
293	1.820	554	1.35
295	0.750	555	0.11
296	0.780	556/1	0.03
297/1	0.200	556/2	0.03
297/2	0.200	556/3	0.02
298	0.370	557	0.24
299	0.360	557/1033	0.03
300	0.350	558	0.22
301	0.560	559	0.39
303	0.320	560	0.47
304	0.290	561/1	0.17
306	0.560	562	0.06
309	0.400	566	0.30
311/1	1.140	567	0.24
311/2	0.450	568/1	0.18

(1)	(2)	(1)	(2)
568/2	0.18	602/4	0.20
568/3	0.17	602/5	0.20
568/4	0.17	603	0.33
569	0.51	604/1	0.15
570/1	0.18	604/2	0.15
570/2	0.19	607	1.39
570/3	0.19	615/1	0.41
571/1	0.18	615/2	0.24
571/2	0.18	615/3	0.57
572/1	0.20	615/4	0.41
572/2	0.19	615/5	0.60
573	0.03	618/1	0.18
575	0.19	618/2	0.18
576	0.19	618/3	0.19
578/1	0.03	619	0.48
578/2	0.03	620/1	0.78
578/3	0.04	620/2	0.78
579	0.13	620/3	0.78
580	0.68	621/1	0.14
581	0.10	621/2	0.13
584/1	0.24	621/3	0.13
584/2	0.25	622	1.75
585/1	0.23	623	0.68
585/2	0.03	624	0.66
586/1	0.27	625	0.35
586/2	0.27	626	1.54
588	0.77	627	0.15
592	0.04	629	0.46
593/1	0.02	631	0.10
593/2	0.01	632	0.08
593/3	0.01	633	0.04
594	0.57	634/1	0.20
595	0.12	634/2	0.46
596	0.19	634/3	0.46
599/1	0.16	634/4	0.45
599/2	0.15	635	0.10
600/1	0.04	636	1.08
600/2	0.05	638	0.63
600/3	0.04	639/1	0.07
601/1	0.17	639/2	0.08
601/2	0.18	639/3	0.07
601/3	0.18	640/1	0.10
601/4	0.18	640/2	0.11
602/1	0.01	640/3	0.11
602/2	0.12	640/4	0.11
602/3	0.13	640/5	0.11
		643	0.80

(1)	(2)	(1)	(2)
644/1	0.33	687	0.35
644/2	0.33	689	1.22
645/1	0.33	690	1.07
645/2	0.09	692	0.16
645/3	0.08	693	1.33
645/4	0.08	694	1.52
645/5	0.08	695	0.47
646	0.36	698	0.48
647/1	0.18	700	0.02
647/2	0.18	702	0.47
648	0.41	703	0.15
649	0.75	705/1	0.05
650	0.25	705/2	0.04
651	0.13	705/3	0.05
652/1	0.16	706/1	0.07
652/2	0.08	706/2	0.06
652/3	0.16	707	0.14
652/4	0.16	708	0.11
653/1	0.07	709	0.13
653/2	0.15	710	0.32
653/3	0.08	711	0.55
653/4	0.07	712/1	0.36
653/5	0.07	712/2	0.20
653/6	0.08	715/1	1.03
653/7	0.07	715/2	1.62
653/8	0.07	715/3	1.70
653/9	0.07	716	0.05
654/1	0.34	717	0.07
654/2	0.35	718/1	0.40
655	0.25	718/2	0.93
656	0.28	718/3	0.24
657	0.05	718/4	0.15
662/1	0.02	719/1	0.29
662/2	0.01	719/2	0.30
662/3	0.01	720	0.06
662/4	0.01	721/1	0.50
662/5	0.01	721/2	0.21
669	0.05	721/3	0.21
670	0.04	721/4	0.20
671	0.12	721/5	0.20
672	0.01	723	0.52
673	0.16	724	0.50
677	0.07	725	0.35
678	0.10	728/1	0.18
679	0.13	728/2	0.16
680	0.11	728/3	0.21
686	0.37		

(1)	(2)	(1)	(2)
729	0.07	791	0.31
730	1.02	799	0.22
731/1	0.29	804	0.33
731/2	0.29	805	0.13
731/3	0.29	806	1.00
731/4	0.29	807	0.19
731/5	0.29	808	0.19
735	0.64	809	0.09
736	0.83	810	0.03
737	0.89	811	0.30
738	2.08	812	0.50
742	0.72	813/1	0.42
743	1.15	813/2	0.07
744	0.28	814/1	0.29
746	0.82	814/2	0.29
747	0.74	815/1	0.18
749	0.66	815/2	0.18
751	0.55	816/1	0.07
752	1.03	816/2	0.05
753	0.34	816/3	0.03
754	0.44	816/4	0.06
755	0.35	816/5	0.05
756	0.24	816/6	0.11
757	1.00	817	0.64
764	0.76	818	0.10
765/1	0.21	819	0.19
765/2	0.21	820/1	0.10
765/3	0.20	820/2	0.10
765/4	0.20	822	0.33
766	1.01	823	0.17
768/1	0.86	824/1	0.09
768/2	0.86	824/2	0.08
768/3	0.86	825	0.08
770	0.82	826/1	0.01
772	0.05	826/2	0.01
773	0.85	826/3	0.01
774	0.52	826/4	0.01
775	0.03	826/1034	0.04
777	0.16	826/1035	0.04
780	0.56	827	0.12
781/1	0.06	827/1036	0.03
781/2	0.06	827/1037	0.03
781/3	0.08	829	0.09
781/4	0.07	830	0.15
782	0.94	831	0.04
		832	0.24

(1)	(2)	(1)	(2)
833	0.37	865	0.13
834/1	0.14	866	0.12
834/2	0.13	867	0.16
835	0.39	868	0.10
835/1038	0.11	869	0.10
836	0.08	870/1	0.04
838	0.14	870/2	0.04
839	0.05	870/3	0.04
840	0.90	870/4	0.05
841	0.03	870/5	0.05
842	0.06	871	0.22
843/1	0.10	872/1	0.23
843/2	0.09	872/2	0.23
844	0.41	874	0.03
845	0.08	875	0.01
846/1	0.03	876	0.03
846/2	0.05	877	0.02
846/3	0.05	878	0.02
847/1	0.18	880	0.02
847/2	0.40	881	0.05
847/3	0.32	883/1	0.26
847/4	0.08	883/2	0.26
847/5	0.06	884	0.14
847/6	0.35	885	0.43
848/1	0.23	886/1	0.15
848/2	0.10	886/2	0.07
848/3	0.04	886/3	0.07
848/4	0.33	886/4	0.06
849/1	0.04	887	0.06
849/2	0.04	888	0.03
849/3	0.02	889	0.03
855	0.14	890	0.04
856	0.16	891/1	0.06
858	0.34	891/2	0.08
859/1	0.10	891/3	0.06
859/2	0.10	892	0.48
859/3	0.10	893	0.43
859/4	0.05	894	0.31
860	0.17	895	0.52
862	0.07	897	0.14
863/1	0.03	898/1	0.26
863/2	0.03	898/2	0.25
683/3	0.03	898/3	0.25
863/4	0.03	898/4	0.25
863/5	0.04	898/5	0.25
864	0.14	899/1	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
899/2	0.02	924	0.07
899/3	0.02	925	0.11
900/1	0.04	926	0.09
900/2	0.04	927/1	0.14
901	0.07	927/2	0.15
902/1	0.14	928	0.03
902/2	0.14	929	0.22
903	0.12	930	0.31
904	0.21	931	0.60
905/1	0.41	932	0.66
905/2	0.21	933/1	0.12
906/1	0.09	933/2	0.11
906/2	0.09	933/3	0.11
906/3	0.09	933/4	0.11
907	0.09	934	0.39
908	0.26	935	0.63
909	0.10	936/1	0.27
911	0.13	936/2	0.26
913/1	0.20	937/1	0.02
913/2	0.20	937/2	0.02
913/3	0.20	937/3	0.03
913/4	0.12	937/4	0.02
914/1	0.03	937/5	0.03
914/2	0.03	937/6	0.03
914/3	0.04	937/7	0.03
915	0.31	937/8	0.03
916/1	0.18	938/1	0.17
916/2	0.17	938/2	0.18
916/3	0.17	938/3	0.17
917	0.64	939	0.56
918/1	0.05	940	0.63
918/2	0.05	941/1	0.47
918/3	0.06	941/2	0.47
918/4	0.06	942	0.56
918/5	0.06	943	0.39
919	0.10	944	0.18
920	0.13	945/1	0.14
921	0.11	945/2	0.14
923/1	0.02	946	0.51
923/2	0.02	947	0.21
923/3	0.02	948/1	0.45
923/4	0.02	948/2	0.18
923/5	0.02	948/3	0.63
923/6	0.02	948/4	0.62
923/7	0.02	948/5	0.62
923/8	0.02	949	0.11
		950	0.13

(1)	(2)
951	0.11
953	0.11
954	0.10
955	0.03
956	0.03
957	0.07
958	0.05
959	1.07
960	0.09
961	0.09
962	0.07
963	0.08
964	0.08
965	0.23
966	0.13
967	0.08
968	0.06
969	0.10
970	0.05
971	0.05
972	0.04
973	0.05
974	0.05
975/1	0.20
975/2	0.19
976/1	0.32
976/2	0.32
976/3	0.31
977	0.66
978	0.62
979	0.92
980/1	0.30
980/2	0.17
980/3	0.16
980/4	0.10
980/5	0.10
980/6	0.10
981	0.62
982	0.13
983/1	0.06
983/2	0.07
983/3	0.08
984	0.37
985/1	0.37
985/2	0.36
986	0.57
987	0.37
988/1	0.24
988/2	0.25
989	0.12
990	0.08
991/1	0.02
991/2	0.03
991/3	0.03
992	0.08
993	0.18
994	0.22
995	0.28
996	0.29
997	0.68
998	0.51
999	0.90
1000	0.13
1001	0.06
1002	1.70
1003	0.50
1004	0.31
1005	0.33
1006	0.39
1007	0.31
1008/1	0.16
1008/2	0.16
1009	0.44
1010	0.08
1011	0.06
1012	0.08
1013/1	1.00
1013/2	0.79
1013/3	0.51
1015	0.05
1016/1	0.01
1016/2	0.01
1016/3	0.01
योग 728	222.774

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सी.एम.डी.सी. की सोंडिहा कोल परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 25 फरवरी 2012

रा.प्र.क्र./4/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-इंजानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-65.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
615/1	0.56
615/2	0.36
616	0.63
618	0.55
620	0.51
624	0.08
625	0.61
626	0.24
627	1.31
630	1.18
631	0.76
632	1.42
633	0.99
638	0.46
641	0.14
643	0.18
644	0.48
645	0.25
648	0.21
649	0.67
653/1	0.61
654/2	0.15
655	0.35
656/2	0.39
657	2.02
659	1.59
661	1.50
664	1.27
665	0.30
666	0.84
668	0.57
669/1	0.17
671/1	1.25
671/2	0.12
672/1	0.06
672/2	0.06
672/3	1.33
672/4	1.33
674	0.91
675	0.96
676	0.65
681	2.20
682	1.24
683	1.94
684	1.40
685	1.04
694/6	0.12
695/2	0.10
695/3	0.40
696	1.53
698/1	0.08
698/2	1.04
701	1.86
703	2.24
704	0.22
705/1	0.12
705/2	0.07
706/1	0.14
706/2	0.07
707	0.53
708/1	0.08
708/2	0.24
709	0.04
710	1.48
711/1	1.25
711/2	0.69
711/3	1.28
712	0.30
714	2.97
715	0.10
716	0.07

(1)	(2)
717	1.27
718	0.54
730/1	0.42
730/2	0.17
730/3	0.11
736/1	0.10
736/2	0.07
737	3.46
741	1.67
742	1.08
744	1.17
1417	0.25
1419	0.62
1420	0.31
1421	1.35
1422	0.09
1436	0.32
1437	0.04
योग 89	65.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सी.एम.डी.सी. की सोंडिहा कोल परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 25 फरवरी 2012

रा.प्र.क्र./5/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-सावित्रीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
370	0.20
371/1	0.32
390	1.02
391	0.96
392	0.37
393	0.18
397	0.09
398	0.25
402/1	0.67
402/2	0.66
402/3	0.66
409/2	0.50
409/4	0.50
409/1	0.50
409/3	0.50
415/1	1.20
415/2	0.80
416/1	0.40
416/2	0.40
416/3	0.40
416/4	0.40
416/5	0.40
योग 22	11.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सी.एम.डी.सी. की सोंडिहा कोल परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 25 फरवरी 2012

रा.प्र.क्र./6/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बलरामपुर (छ.ग.)
  (ख) तहसील-वाड्रफनगर
  (ग) नगर/ग्राम-बरतीकला
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1380	0.56
1382	0.56
1384	0.44
1385	0.76
1386	0.36
1391	0.44
1392	0.35
1393	0.21
1394	0.20
1395	0.26
1396/1	0.32
1396/2	0.41
1397/1	0.22
1397/2	0.41
1398	0.41
1399/1	0.14
1399/2	0.13
1400	0.13
1401	0.21
1403	1.42
1410	1.42
1411	0.07
1412	0.07
1413	0.06
1414	0.06
1415/1	0.11
1415/2	0.11
1415/3	0.10
1415/4	0.10
1415/5	0.10
1417	0.11
1418	0.11
1419	0.53
1420	0.71
1421	0.19
1422	0.21
1423	0.21
1424	0.22
1427	0.04
1428	0.04
1429	0.04
1430	0.10
1431	0.25
1433/1	0.04
1433/2	0.04
1433/3	0.04
1433/4	0.04
1434/1	0.35
1434/2	0.35
1434/3	0.35
1434/4	0.35
1436	0.40
1441	0.03
1442	0.70
1443	0.23
1444	0.79
1445	0.87
1447	0.53
1472	0.19
1473	0.46
1476	0.95
1479	0.28
1513	0.24
1514/1	0.18
1517	0.23
1518	0.18
1519/2	0.38
1520	1.06
1521	0.40
1522	0.33
1523	0.06
1524	0.45
1530/1	0.23
1531	0.46
1538	2.17
1539	0.18

	(1)	(2)
	1542	1.62
	1543	0.26
	1544	1.14
	1545/1	1.20
योग	80	30.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सी.एम.डी.सी. की सोंडिहा कोल परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2012

क्रमांक 29 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हाईबंद, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.92 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	193/3	0.30
	185/3	0.82
	593/1	0.05
	542/12	0.23
	51/5	0.06
	40/3	0.05
	23/3	0.24
	29/5	0.07
	428/6	0.08
	250/2	0.30
	428/21	0.38
	224/8	0.22
	29/1	0.06
	538/1	0.05
	613/5	0.16
	23/4	0.03
	40/2	0.09
	428/3	0.06
	224/5, 243/7	0.70
	224/6	0.30
	224/7	0.67
	243/3	0.43
	244/2	0.72
	224/4	0.10
	224/3	0.16
	243/4	0.29
	244/4	0.25
	245/4	0.05
योग	29	6.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्रमांक 33.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-बोईरडीह, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.425 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	417	0.073
	418	0.134
	419	0.134
	502/1	0.008
	502/2	0.024
	503/1	0.016
	503/2	0.036
योग	7	0.425

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एनीकट निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्रमांक 34.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-दुरपा, प. ह. नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	20/5	0.045
योग	1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लहंगा माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्रमांक 35.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजेपुर
(ग) नगर/ग्राम-लोहराकोट, प. ह. नं. 03
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	442	0.061
योग	1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोहराकोट माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक 329.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-डभरा
   (ग) नगर/ग्राम-बरभांठा, प. ह. नं. 13
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.772 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	15/1क	0.020
	15/1ख	0.097
	15/1ग	0.109
	15/2ख	0.028
	16/2	0.162
	16/4	0.020
	16/5	0.109
	18	0.012
	20	0.061
	21	0.040
	23/1	0.016
	25	0.028
	26	0.069
	27	0.004
	30/1	0.085
	30/2	0.049
	51/2	0.016
	52/2	0.028
	53	0.040
	54	0.028
	88/4	0.016
	89/2	0.020
	93/2	0.089
	95	0.045
	97/1	0.036
	97/2	0.040
	99/1	0.032
	99/2	0.024
	105/1	0.008
	106	0.032
	107	0.117
	108	0.049
	120/1	0.065
	121/1क	0.053
	121/1ग	0.117
	266	0.008
योग	36	1.772

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सकराली माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्रमांक 330.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा गह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-डभरा
   (ग) नगर/ग्राम-सकराली, प. ह. नं. 13
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.341 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/2, 10/3	0.040
8	0.065

(1)	(2)
9	0.049
12/2	0.049
12/4	0.077
12/5	0.105
13	0.061
14	0.004
24/1	0.008
24/2	0.069
25/1	0.028
27/2	0.024
27/3	0.032
30/1	0.032
30/2	0.073
31/1	0.012
84	0.008
85	0.049
88/3	0.057
89, 90/1	0.069
100	0.053
101/2	0.049
102	0.040
108	0.053
111/2	0.032
112	0.065
113	0.004
114/1	0.016
115/1	0.053
115/3	0.065
योग 30	1.341

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सकराली माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत शाखा), रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक/365/पं.शा./विस्था./2012.—मैं डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, रायपुर छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित ग्राम व अनुसूची के कॉलम 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को नगर पालिका निगम रायपुर में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप एवं छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-42/2009/18 दिनांक 01-06-2011 में कोई आपत्ति दावा/सुझाव प्राप्त न होने के कारण विस्थापित करता हूं.

सारिणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नं.	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायपुर	धरसींवा	1. आमासिवनी	आमासिवनी	2142	110	नगर पालिका
		2. कचना	कचना	4081	110	रायपुर
		3. जोरा	जोरा	3968	112	
		4. देवपुरी	देवपुरी	3930	114	
		5. डूमरतराई	डूमरतराई	2305	115	
		6. बोरियाखुर्द	बोरियाखुर्द	3218	118	
		7. डूण्डा	डूण्डा	2952	118	

No./365/Pan cha/2012.—I Dr. Rohit Yadav, Collector, Raipur under the powers conferred under section 126 of Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam 1993 (No. 1 of 1994) do hereby rehabilitated the Gram Panchayat mentioned in column 3 and also the village/villages mentioned in column 4 of the schedule and have included them in the Municipal Corporation Raipur this has been done fabour of notification published in C.G. Govt. Letter No. F-1-42/2009/18 Dated 01-06-2011 as no objections, claims or suggestion has been received against the above said primary notification.

TABLE

Name of District	Name of Block	Name of Gram Panchayat	Names of Villages being rehabilitated	Population	Patwari circle Number	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Raipur	Dharsiva	1. Amasiwni	Amasiwni	2142	110	Municipal Corporation Raipur
		2. Kachna	Kachna	4081	110	
		3. Jora	Jora	3968	112	
		4. Dewpuri	Dewpuri	3930	114	
		5. Dumartrai	Dumartrai	3205	115	
		6. Boriyakhurd	Boriyakhurd	3218	118	
		7. Dunda	Dunda	2952	118	

रोहित यादव,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक 701/वित्त.लि.-1/2012.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक-4 के नियम 8 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर बालोद, वर्ष 2012 हेतु बालोद जिले के लिए निम्नलिखित तिथियों में/दिनों के समक्ष उल्लेखित पर्व/त्यौहार के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

अनु. क्र.	पर्व/त्यौहार का नाम	तिथि/माह	दिन	दिवस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	हरेली	19 जुलाई	गुरुवार	संपूर्ण दिवस
2.	दशहरा (महाष्टमी)	22 अक्टूबर	सोमवार	संपूर्ण दिवस
3.	दीपावली का दूसरा दिन	14 नवम्बर	बुधवार	संपूर्ण दिवस

अमृत कुमार खलखो,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्रमांक/व.प्रा./स्था/1095.—छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट मैन्युवल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक-29 के प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुए बारनवापारा अभ्यारण्य के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए अभ्यारण्य के परिक्षेत्रों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित सहायक वृत्तों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित परिसरों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	रायपुर	रायपुर	रायपुर	बारनवापारा अभ्यारण्य	कोठारी	कोठारी	123.48	1. तुरतुरिया 2. फुरफुंदो 3. लाटादादर 4. तालदादर 5. कोठारी	24	**उत्तर** - कक्ष क्र. 78, 77 एवं राजस्व ग्राम खुडमुडी की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 80, 175, 201 एवं राजस्व ग्राम फुरफुंदी की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 203, 206, 231 एवं 228 की उत्तरी सीमा. **पूर्व** - कक्ष क्र. 228 एवं वन ग्राम नवागांव की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 227, 224, 223, 217, 218 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा. **दक्षिण** - कक्ष क्र. 218, 219, 220, 169, 167, 165, 107, 106, 188 एफ.डी. 186 की दक्षिणी सीमा एवं दोंद से कोठारी मार्ग की सीमा. **पश्चिम** - कक्ष क्र. एफ.डी. 186, 105, 106, 161, 178, 177, 79, 78 की **पश्चिमी सीमा.**
					बारनवापारा	बारनवापारा	126.22	1. बारनवापारा 2. रामपुर 3. चरौदा	21	**उत्तर** - FD170, FD169, FD167, FD163, 108, 109, 114, 115, 116, 149, 151 की सीमा एवं दोंद से कोठारी मार्ग की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								4. आमगांव		**पूर्व** - कक्ष क्र. 151, 143, 144, 113 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 112, 128 एवं राजस्व ग्राम पकरीद की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 112, 128, 123, 122 एवं 131 की पूर्वी सीमा तथा 130 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा. **दक्षिण** - कक्ष क्र. 131, FD112, FD113, FD114, FD115 की दक्षिणी सीमा. **पश्चिम** - कक्ष क्र. FD115, FD143, FD145, FD170 की पश्चिमी सीमा.
						योग	**249.70**	**9**	**45**	

रामप्रकाश,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक.